भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5718

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

निजी वित्त कंपनियां

5718. श्रीमती वी. सत्यबामाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऋण प्रदान करने एवं ब्याज के संग्रहण के नियमन के लिए निजी वित्त संस्थानों एवं प्राइवेट लिमिटेड वित्त कंपनियों को कोई आदेश जारी किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कुछ प्राइवेट लिमिटेड वित्त कंपनियां अनैतिक एवं धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों में लिप्त पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) धोखाधड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ आरोप दर्ज करने एवं उन्हें दंडित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सख्त कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम के तहत निगमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऋण की ब्याज दरें बैंकों एवं एनबीएफसी के लिए नियंत्रण मुक्त कर दी गई हैं। ब्याज दर की उच्चतम सीमा केवल एनबीएफसी-एमएफआई के लिए ही निर्धारित की जाती है। एनबीएफसी के संबंध में, आरबीआई ने उचित व्यवहार संहिता के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें एनबीएफसी के बोर्ड के लिए निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श ब्याज दर अपनाना तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए लगाए जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, ब्याज दर और जोखिम के क्रम के लिए दृष्टिकोण तथा लेनदारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न ब्याज दर वसूलने हेतु तर्काधार आवेदन प्ररूप में लेनदार या ग्राहक को प्रकट करना तथा इस अनुमोदन पत्र में भी स्पष्ट रूप से बताया जाना अपेक्षित है। यह एऩबीएफसी द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों की गणना और सूचना में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
(ग) और (घ): आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया ब्यौरा अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5718 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऐसे मामले जहां आरबीआई में रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी अनैतिक/कपटपूर्ण व्यवस्थाओं में लिप्त पाई गई थी।	इस संबंध में की गई कार्रवाई
गुजरात	दीप कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी एक अनिगमित निकाय (यूआईबी) जय खोडियार मिरता मंडल (जेकेएमएम) के साथ शामिल थी, जो अवैध रूप से धन उगाही कर रही थी।	कंपनी की सीओआर रद्द कर दी गई और कंपनी के विरूद्ध समापन याचिका दी गई है। कंपनी के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है।
असम	वाईवीयू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. ने समान दर पर बीमा प्रीमियम एकत्र करने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन किया तथा प्रचलित बाजार दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरें लगाईं।	वाईवीयू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. पर इस उल्लंघन के लिए दिनांक 08 अगस्त, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

*****